



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 माघ 1943 (श10)
(सं० पटना 38) पटना, बृहस्पतिवार, 27 जनवरी 2022

परिवहन विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी 2022

सं० 06/ड्राइविंग स्कूल (योजना)-30/2020/515—नौसिखिये वाहन चालकों को वाहन चालन शिक्षण का अवसर देकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से तकनीकी आधारित मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु “मोटरवाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान योजना” को इस विभाग की अधिसूचना संख्या-8296, दिनांक-02.12.2020 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-394 (अ), दिनांक-07.06.2021 के आलोक में उपरोक्त अधिसूचना में इस विभाग की अधिसूचना संख्या-6123, दिनांक-24.09.2021 द्वारा कतिपय संशोधन किए गए हैं एवं इस विभाग की अधिसूचना संख्या-7326, दिनांक-22.11.2021 के द्वारा औरंगाबाद में योजनान्तर्गत चालन प्रशिक्षण संस्थान के प्रावधान को विलोपित किया गया है।

दिनांक-28.05.2021 को बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में अधिसूचना संख्या-8296, दिनांक-02.12.2020 में एक नई कंडिका-17 (क) निम्न रूप में अंतः स्थापित एवं कंडिका-18 को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है:-

1. "17 (क). योजना के अन्तर्गत नालंदा, गया, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, गोपालगंज, पटना, वैशाली, पूर्णियाँ, किशनगंज, कैमूर (भभुआ), नवादा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं जमुई जिलों में एक अतिरिक्त मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर अनुदान अनुमान्य होगा।"

2. कंडिका-18 को निम्न के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"18. योजना का आकार-तीन कोटि के जिलों में feasibility के आधार पर 59 चालक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित होंगे तथा कंडिका-17 (क) के 15 चालक प्रशिक्षण केन्द्र उपर्युक्त के अतिरिक्त होंगे। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र के लिए अधिकतम 20.00 (बीस) लाख रूपए अनुदान स्वरूप आर्थिक सहायता दी जाएगी।

3. शेष यथावत रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 38-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>